न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–105 / 2026
शिवहर थाना कांड संख्या–71 / 2026.
सरकार बनाम् मुन्नी देवी व अन्य
अंतर्गत धारा–137(2), 96 of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01000693-2026

01. मुन्नी देवी, पति–बजरंगी साह, उम्र करीब–37 वर्ष,
02. बजरंगी साह, पिता–स्व0 बढ़े साह, उम्र करीब–40 वर्ष,
दोनों निवासी ग्राम–नगर परिषद् वार्ड नं0–15, थाना+जिला–शिवहर.....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता –श्री अमलेश कुमार / श्री अनिल कुमार।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

उपस्थितिः दीपक कुमार,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
16.04.2026

दिनांक–16.04.2026 **आदेश**

आवेदक अभियुक्तगण–01. मुन्नी देवी एवं 02. बजरंगी साह, जिनका मामला शिवहर थाना कांड कांड संख्या–71 / 2026, अंतर्गत धारा–137(2), 96 भारतीय न्याय संहिता के लिए दर्ज किया गया है, में उनके द्वारा उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिनको उनके सम्बद्व विद्वान अधिवक्ता श्री अमलेश कुमार एवं श्री अनिल कुमार के द्वारा संचालित किया गया, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री सुरेश राय को सुना गया।

अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है, जिसमें सूचक भोला साह ने शिवहर थाना पर दिये गये अपने टंकित आवेदन में लिखा है कि–कल दिनांक–22.02.2026 को समय करीब 07:00 बजे रात्रि में मेरी नाबालिग पुत्री चंदा कुमारी, उम्र–17 वर्ष, घर से शिवहर बाजार में सामान खरीदने गई थी, जो देर रात तक वापस नहीं लौटी तो आस–पास में खोजने पर पता चला कि विशाल कुमार, उम्र–20 वर्ष, पिता–बजरंगी साह, मोबाईल नम्बर–9905361038, बजरंगी साह (आवेदक अभियुक्त), पिता–स्व0 बढ़े साह, उम्र–45 वर्ष, विशाल की मम्मी (आवेदक अभियुक्त), उम्र–40 वर्ष, पति–बजरंगी साह, तीनों साकिन नगर परिषद् शिवहर वार्ड नं0–15, थाना+जिला–शिवहर ने जबरन मेरी पुत्री को अगवा करके ले गया है एवं जब मैं उक्त लोगों के घर गया तो उनके घर वाले उलटा जान मारने की धमकी देने लगे एवं अभी तक मेरी पुत्री नहीं मिली है। मुझे शक है कि ये लोग मेरी पुत्री को कही बेच सकता है या उसके साथ कुछ गलत काम करके जान मारकर फेंक सकता है। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदकगण का पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। ग्रामीण गंदी राजनीति के कारण आवेकदगण को इस वाद में फंसा दिया गया है। आवेदकगण प्राथमिकी में नामित सहअभियुक्त विशाल कुमार के माता–पिता हैं। प्राथमिकी में आवेकदगण पर सूचक की नाबालिग पुत्री के अपहरण करने का गलत आरोप लगाया गया है। प्रस्तुत वाद की अपहृता ने धारा–180 एवं धारा–183 बी0एन0एस0एस0 के बयान में आवेदकगण का नाम नहीं कही है, बल्कि उसने कहा है कि वह विशाल कुमार से प्यार करती है और उसी के साथ शादी कर ली है और उसे किसी ने भगाकर नहीं ले गया था, जिससे विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में सभी आवेदकगण के विरूद्व अपहरण का केस नहीं बनता प्रतीत होता है। आवेदकगण सक्षम जमानत बंध–पत्र देने को तैयार है तथा उनके पलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाये।

लगातार / –

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–105/2026
शिवहर थाना कांड संख्या–71/2026.
सरकार बनाम् मुन्नी देवी व अन्य
अंतर्गत धारा–137(2), 96 of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01000693-2026

दिनांक–16.04.2026 **–2–**

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा मूल अभिलेख, प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण–01. मुन्नी देवी एवं 02. बजरंगी साह पर प्राथमिकी के नामित एक अन्य सहअभियुक्त, जो आवेदकगण के पुत्र हैं, के साथ मिलकर सूचक की नाबालिग पुत्री के अपहरण में सहयोग करने की बात कही जाती है। वाद दैनिकी की कंडिका–05. पर वादी का पुनःबयान है। कंडिका–06, 07 एवं 08 पर साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है, लेकिन ये सभी साक्षी सूचक के पुत्रगण एवं पत्नी हैं। किसी भी स्वतंत्र साक्षी का बयान वाद दैनिकी पर उपलब्ध नहीं है। वाद दैनिकी की कंडिका–16. पर प्रस्तुत वाद की अपहृता के जन्म–तिथि का उल्लेख है, जिसके अनुसार घटनातिथि को उसकी उम्र लगभग सोलह वर्ष से कुछ अधिक दिनों की है। वाद दैनिकी की कंडिका–17. पर प्रस्तुत वाद की अपहृता के शिवहर थाना पर उपस्थित होने एवं उसे अल्पावास गृह, शिवहर में रखे जाने का तथ्य अंकित है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद की अपहृता बरामद हो चुकी है। कंडिका–29. में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की अपहृता ने सदर अस्पताल, शिवहर में चिकित्सकीय जॉच कराने से मना/इनकार किया है। कंडिका–31. में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की अपहृता को उसके माता–पिता को सुपूर्द करने का निर्देश दिया गया है और अपहृता अपने माता एवं भाई के साथ अपने घर गई है। वाद दैनिकी की कंडिका–35. में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि थाना अभिलेख में आवेदकगण के विरूद्व इस कांड के अलावे पूर्व से कोई अन्य मामला दर्ज नहीं है। मूल अभिलेख पर प्रस्तुत वाद की अपहृता का धारा–180 बी0एन0एस0एस0 का बयान एवं बंद लिफाफा में धारा–183 बी0एन0एस0एस0 का बयान उपलब्ध है, जिसमें उसने धारा–180 बी0एन0एस0एस0 के अपने बयान में कही है कि–"मैं दिनांक–22.02.2026 को करीब 05:00 बजे शाम को अपने दोस्त विशाल कुमार (प्राथमिकी के नामित सहअभियुक्त एवं आवेदकगण के पुत्र) के साथ मुजफ्फरपुर जाकर शादी कर लिया। वहॉ से हमदोनों दिल्ली चले गये। मेरे कहने पर विशाल वहीं काम ढ़ूंढ़ने लगे। इसी बीच सूचना मिली की मेरे घर वालों ने विशाल कुमार और उनके परिवारजनों पर केस कर दिया है। यह सूचना पाकर मैं शिवहर आ गई और शिवहर थाना आकर आने की सूचना दी। मुझे कोई भगाकर नहीं ले गया था। मैं अपनी मर्जी से विशाल के साथ गई थी और शादी किया था।" अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण–अभियुक्तगण–01. मुन्नी देवी एवं 02. बजरंगी साह, में से प्रत्येक को आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर सक्षम विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर सम्बन्धित विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के संतुष्टियोग्य मो0–10,000/–(दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानत बंध–पत्र निष्पादित किये जाने पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्त के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्विकृत

ह0/–

प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
16.04.2026